



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

23 माघ, 1942 (श०)

संख्या- 118 राँची, शुक्रवार,

12 फरवरी, 2021 (ई०)

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग।

अधिसूचना

01 अप्रैल, 2019

संख्या:- 01/नीति-29/2018-725-- झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915 (झारखंड उत्पाद अधिनियम II, 1915) की धारा 90द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्व पर्षद, अस्थायी/Occasional Bar के संचालन एवं शुल्कों के संबंध में, पूर्व में इस संबंध में निर्गत सभी अधिसूचनाओं को, जहाँ तक वे इससे असंगत हो, अधिकांत करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं:-

अस्थायी/Occasional Bar की अनुज्ञप्ति हेतु निम्नलिखित शुल्क एवं शर्तें निर्धारित की जाती हैं:-

(i)

क्र०	अस्थायी/Occasional Bar के लिए स्थल	एक वित्तीय वर्ष में किसी स्थल विशेष पर अस्थायी/Occasional Barस्वीकृत किये जाने की संख्या	राशि
1	मनोरंजन स्थल, वाणिज्यिक संस्थाओं यथा क्लब, मैरेज हाँल, होटल, रेस्तरां, रिसोर्ट, फार्म हाउस, बारात घर, निजी घर इत्यादि में	10 बार तक (10 Times)	रू० 10000/- (दस हजार रुपये) प्रतिदिन
2	तदैव	10 बार से अधिक (More than 10 times)	रू० 25000/- (पच्चीस हजार रुपये) प्रतिदिन

- (ii) अस्थायी/Occasional Bar की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन, आयोजन की तिथि से कम-से-कम चार दिन पूर्व वांछित शुल्क के साथ समर्पित किया जाना चाहिए, ताकि आवेदन में अंकित स्थल की जाँच उत्पाद पदाधिकारियों के द्वारा करायी जा सके एवं तदनुसार प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर अनुज्ञप्ति निर्गत करने पर विचार किया जाय। अस्थायी बार की अनुज्ञप्ति देने अथवा नहीं देने के संबंध में अनुज्ञप्ति पदाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
- (iii) अस्थायी/Occasional Bar हेतु मदिरा का क्रय उस जिला में अवस्थित दुकान से ही किया जाना अनिवार्य है, ताकि राज्य सरकार को राजस्व की क्षति नहीं हो। अन्य स्थलों से लायी गई Non Duty Paid शराब को इन अस्थायी/Occasional Bar में परोसा नहीं जायेगा। अन्य राज्यों में बिक्री की मदिरा अथवा Non Duty Paid मदिरा पाये जाने पर इसे अवैध माना जायेगा एवं तदनुसार कार्रवाई की जायेगी। “झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2018”, में वर्णित अधिकतम क्रय सीमा से संबंधित बंधेज अस्थायी एवं Occasional Bar के लिए लागू नहीं होंगे।
- (iv) अस्थायी एवं Occasional Bar की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन के साथ निम्नलिखित कागजात संलग्न किये जायेंगे:-
- क) आयोजक द्वारा स्वहस्ताक्षरित आवेदन पत्र, जिसमें आयोजन की तिथि, उद्देश्य एवं स्थान का स्पष्ट ब्यौरा अंकित हो।
 - ख) आवेदक का पहचान पत्र।
 - ग) आवेदक का स्थायी पता से संबंधित प्रमाण पत्र/कागजात।
 - घ) आयोजन के समय में आयोजन स्थल पर किसी प्रकार की विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न नहीं होने संबंधित शपथ पत्र।
 - इ) दुकान/दुकानों का नाम, जिससे मदिरा का क्रय किया जायेगा ।
 - च) वांछित अनुज्ञप्ति शुल्क का चालान अथवा ऑनलाइन विधि से सरकारी कोषागार में जमा की गई राशि का प्रमाण।
2. यह अधिसूचना दिनांक 01.04.2019 से प्रभावी होगी।

सदस्य, राजस्व पर्वद के आदेश से,

वीरेन्द्र कुमार सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।
